(261) (137)

प्र/निग०/रीवा/2018/0992

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल सर्किट कोर्ट रीवा, जिला–रीवा (म0प्र0)

कोर्ट फी COURT FEE Rs.5 INDIA भारत पाँच रुपये FIVE RUPEES

अखिलेश कुमार गुप्ता तनय स्व. श्री छोटेलाल गुप्ता उम्र 37 वर्ष, निवासी वार्ड क. 8 झण्डा चौराहा बैकुण्ठपुर, थाना बैकुण्ठपुर, जिला रीवा (म0प्र0)

..................निगरानीकर्ता/आवेदक

बनाम

1. उमाशंकर उर्फ अगनू लाल गुप्ता तनय स्व. श्री श्यामलाल गुप्ता उम्र करीब 78 वर्ष, निवासी बस स्टैण्ड के पास, बैकुण्ठपुर, तहसील सिरमौर, जिला रीवा (म0प्र0)
2. रामखेलावन गुप्ता तनय स्व. श्यामलाल गुप्ता उम्र करीब 72 वर्ष, निवासी राधाकृष्ण मंदिर के पास मेन मार्केट बैकुण्ठपुर, थाना बैकुण्ठपुर, तहसील सिरमौर जिला रीवा (म0प्र0)

......................गैरनिगरानीकर्तागण/अना.गण

अधि० श्री अखिलेश कु. गुप्ता द्वारा पेश। 07-2-18

कलर्क आफ कोर्ट राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी विरुद्ध न्यायालय श्रीमान ~~नायब तहसीलदार बैकुण्ठपुर~~ तहसील सिरमौर जिला रीवा (म0प्र0) के राजस्व प्रकरण 30 कमांक–अ–12 वर्ष 2016–17 के राजस्व प्रकरण कमांक–30,31,32 तीनों प्रकरणों में पारित आदेश दिनांक 22/02/2017

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0 संहिता 1959

मान्यवर,

प्रकरण के सूक्ष्म तथ्य–

यह कि इस प्रकरण में उभयपक्ष एक ही परिवार के सदस्य हैं यानि अनावेदकगण तथा आवेदक के स्व. पिता छोटेलाल गुप्ता संयुक्त रूप से भूमि खसरा क. 607 रकवा 9.45ए0 संयुक्त रूप से कय किया था। जिसमें उक्त लोग भूमि स्वामी है। उक्त भूमि दक्षिण से उत्तर रीवा से सिरमौर जाने वाले सड़क के किनारे से मार्ग के किनारे पूर्व में स्थित है। तथा उक्त भूमि को अनावेदकगण तथा आवेदक के स्व. पिता समय–समय पर उक्त भूमि का अंश रकवा सिरमौर जाने वाली गहराई 100 फिट तक लेते हुए विकय किये हैं जिस कारण अब उसका खसरा क. 607/4 द्वारिका गुप्ता, खसरा क. 607/5 सूर्यपाल तनय राममनोहर, खसरा क. 607/6 जगदीश तनय गौरीशंकर, 607/7 गोविन्द तनय अयोध्या, 607/8 रामपाल, 607/1ख नित्यानन्द की

(137)

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक ....II/निग०/रीवा/18/0992.................................. जिला ....रीवा........

.............अखिलेश कु० गुप्ता..........विरूद्ध ....उमाशंकर उर्फ अगनू लाल गुप्ता

1	2	3
16-1-19–	1. आवेदक की ओर से श्री....अखिलेश कु० गुप्ता अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, वृत्त 5 बन्कुइया तहसील....सिरमौर.......के प्रकरण क्रमांक........30/37-12/2016-17..............में पारित आदेश दिनांक..........22.02.17.....के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संधोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर........रीवा....................के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक ....29.03.19......... को कलेक्टर........रीवा................के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	

.... जयोध्या, 607/8 रामपाल, 607/1ख नित्यानन्द की